प्रेस नोट संख्या- 21

दिनांक- 08.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 378/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर के अभियुक्त राजू उर्फ सुमेन्द्र कुमार पुत्र सिद्धनाथ नि0 पूरबगांव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एएसजे- प्रथम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को दिनांक 06.05.2024 को 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 10,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अखिलेश प्रजापति थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 17.10.2020 को अभियुक्त राजू उर्फ सुमेन्द्र कुमार पुत्र सिद्धनाथ नि0 पूरबगांव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी के कब्जे से 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर मु0अ0सं0 378/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री लालजी यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-324 दिनांक 27.10.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।